माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

—: कार्यालय आदेश :—

क्रमांकः परीक्षा ॥/2010 — 2972 **दिनांकः 16.12.2010**

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16.12.2010 की अनुपालना में बोर्ड की निर्देश पुस्तिका के अध्याय — 16 विनियम — 21 के अन्तर्गत निर्देश सं. 5 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैः—

1. परीक्षार्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, यदि उससे सम्बधित कम्प्यूटरीकृत प्रवेश पत्र में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो सम्बधित शाला प्रधान द्वारा संशोधन हेतु सूचित किया जाए।
   यदि अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अंकतालिका सहित प्रमाण पत्र में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो जारी करने से पूर्व जाँच की जाकर पृष्ठांकन किया जावेगा। **यह कार्यवाही परीक्षा वर्ष में 30 नवम्बर तक आवश्यक कर लेनी चाहिये।**
2. बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की जन्मतिथि ,छात्र के नाम ,उपनाम अथवा पिता के नाम, माता के नाम /उपनाम आदि में संशोधन के सम्बधित वर्ष के **परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक संशोधन स्वीकार किये जायेगें।** इसके बाद के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षार्थी के नाम में अथवा पिता के नाम/माता के नाम/उपनाम की वर्तनी अशुद्धि के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। **इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन हेतु 2 वर्ष की सीमा** लागू **नहीं होगी।** छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं अथवा पिता अथवा माता के नाम, उपनाम में वर्तनी अर्थात् स्पेलिंग अशुद्धि को सही करना चाहे तो सही स्पेंलिग अथवा वर्तनी की स्पेलिंग के संबंध में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रधानाध्यापक की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर सहायक निदेशक स्तर से निस्तारण किया जा सकेगा।
4. विलोपित किया जाता है।
5. "नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में जन्मतिथि , छात्र का नाम ,पिता का नाम अथवा माता का नाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् साधारणतः उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु केवल ऐसे मामलों में ही जहां पूर्व शाला की टी.सी. व परीक्षार्थ आवेदन — पत्र अग्रेषित करने वाली शाला के प्रवेश प्रार्थना — पत्र में अन्तर हो अथवा प्रवेश प्रार्थना — पत्र से छात्र पत्रक में अथवा छात्र पत्रक से भेजे गये परीक्षार्थ आवेदन पत्र में विद्यालय द्वारा प्रविष्टियांकरने में कोई अशुद्धि रह गई हो तो संबंधित शाला के मूल रिकार्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश प्रार्थना—पत्र व पूर्व शाला की टी.सी मय फोटो प्रतियों के जो कि शाला प्रधान द्वारा सत्यापित की गई हो के साथ जांच हेतु इस कार्यालय में भेजने पर ही जन्मतिथि, छात्र/छात्रा के नाम,पिता के नाम अथवा अन्य प्रविष्टियों में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में नहीं। निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर ही सुधार शाला अभिलेखों के आधार पर ही किया जा सकेगा। रिकार्ड की फोटो प्रतियां मान्य नहीं होगी। समय पर मूल रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण वापस लौटा दिया जायेगा तथा **सम्पूर्ण रिकार्ड सहित 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगे फिर विचार नहीं किया जायेगा।**"

6. संशोधन हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैं:–

1. विलोपित किया जाता है।

2.	छात्र/छात्र का नाम पिता/माता का नाम में संशोधन हेतु	र 100/- न्यूनतम तत्पश्चात् 60/– र प्रति वर्ष
3.	जन्म तिथि में संशोधन	र 100/- न्यूनतम तत्पश्चात् 60/– **र प्रति वर्ष**

A:- विद्यार्थी द्वारा अपने नाम, पिता, माता के नाम के साथ हरिजन/गिरीजन लगे उपनाम को हटाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 16 अगस्त 1990 के अनुसार दो साल के प्रतिबंध में छूट देते हुवें बिना शुल्क लिये ऐसे मामलों में हरिजन/गिरीजन उपनाम हटाया जा सकेगा।

यह संशोधन सहायक निदेशक के स्तर से किया जा सकेगा।

सचिव

16-12-10

2979-98

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेषाधिकारी (परीक्षा) मा.शि.बोर्ड
2. वित्तीय सलाहकार मा.शि.बोर्ड
3. उप सचिव मा.शि.बोर्ड
4. निदेशक – परीक्षा मा.शि.बोर्ड
5. निदेशक (प्रकाशन) मा.शि.बोर्ड
6. निदेशक – (शैक्षिक) मा.शि.बोर्ड
7. उप निदेशक – (गोपनीय) मा.शि.बोर्ड
8. उप निदेशक – (लेखा) मा.शि.बोर्ड
9. उप निदेशक – (परीक्षा) मा.शि.बोर्ड
10. उप निदेशक – (परीक्षा II) मा.शि.बोर्ड
11. ए.सी.पी. मा.शि.बोर्ड
12. अधिशाषी अभि. मा.शि.बोर्ड
13. वरिष्ठ सहायक निदेशक – (शैक्षिक) मा.शि.बोर्ड
14. वरिष्ठ सहायक निदेशक –(विधि) मा.शि.बोर्ड
15. सहायक निदेशक – (समिति) मा.शि.बोर्ड
16. सहायक निदेशक – (मान्यता) मा.शि.बोर्ड
17. सहायक निदेशक– (जनसर्म्पक) मा.शि.बोर्ड
18. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, मा.शि.बोर्ड
19. निजी सहा. (सचिव) मा.शि.बोर्ड
20. समस्त अनुभाग अधिकारी मा.शि.बोर्ड